①

79

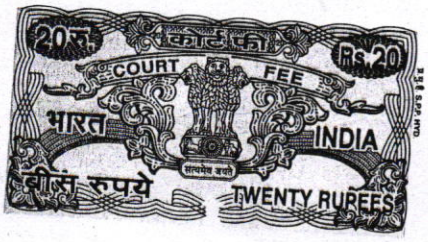

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालयः श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/दतिया/भू.रा/2018/2508

प्रकरण कमांक /2017-18 निगरानी

लाडले कुर्मी पुत्र स्व0 श्री कालका उर्फ कल्लू निवासी- ग्राम बिजनपुरा तहसील व जिला दतिया म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. घनश्याम कुर्मी पुत्र बसन्ते कुर्मी निवासी- बिजनपुरा, तहसील व जिला दतिया म0प्र0....**प्रतिनिगरानीकर्तागण**

श्री रविन्द्र कुमार अभि० द्वारा आज दि. 20-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 20-4-18

Dated 27/4/18

श्रीमती प्रेमा वर्मा शपथ आयुक्त 883 ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 विरूद्ध आदेश दिनांकी 31.10.2017 जो कि पारित द्वारा श्रीमान अपर कलेक्टर जिला दतिया जिनके द्वारा प्रकरण कमांक 17/बी-121/17-18 व उनमान घनश्याम बनाम म0प्र0 शासन के प्रकरण में स्थगन आदेश पारित कर भूमि सर्वे कमांक 11 एवं 89 स्थित ग्राम बिजनपुरा के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया से प्रतिवेदित होकर निगरानी।

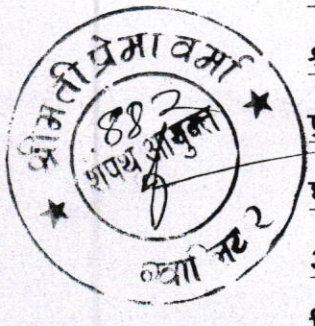

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / दतिया / भूरा / 2018 / 2508

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
16 –7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 17 / बी–121 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 31.10.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक कमांक–2 द्वारा वर्ष 1991–92 में हुये बन्दोबस्त में सुधार के लिये अवधिवाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एवं निगरानीकर्ता को एवं अन्य मैडिया किसानों को पक्षकार बनाये बिना संपूर्ण कार्यवाही की गई जो कि बिना सूचना के अवैधानिक कार्यवाही होने से मूल आवेदन पत्र धारा 107 (5) प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार योग्य नहीं होने से स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक कमांक–2 द्वारा शासकीय रास्ते पर कब्जा कर तथा अवैध कब्जे को संरक्षित करने के उददेश्य से स्थगन आवेदन पत्र किया है जो कि आवेदक एवं अन्य मैडिया किसानों द्वारा प्रस्तुत किये गये आपत्ति आवेदन पत्र के आलोक में सीमांकन प्रतिवेदन मंगाये बिना पारित किया गया स्थगन स्थिर रखे जाने योगय नहीं है। अंत में अनुरोध किया है कि निगरानी स्वीकार कर अपर	

कलेक्टर का आदेश दिनांक 31.10.17 निरस्त करने को अनुरोध किया गया है।

3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला दतिया के स्थगन आदेश दिनांक 31.10.17 की छाया प्रति प्रस्तुत की जिसमें कृषि आराजी भूमि सर्वे कमांक 11 रकवा 1.900 है0 सर्वे कमांक 89 रकवा 2.950 है0 ग्राम विजनपुरा स्थित थी बन्दोबस्त के दौरान अक्श छोटा होने के कारण जांच हेतु तहसीलदार दतिया वृत्त उनाव में चल रहा है। अतः तहसीलदार दतिया वृत्त उनाव को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिवस में जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे विवादित भूमि कां निराकरण अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा शीघ्र किया जा सके। यह आदेश जांच प्रतिवेदन तक सीमित रहेगा । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सदस्य